<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/3385/2003/धौलपुर</u>

1– पूरन
2– मंगला } पुत्रान श्री मूला, जाति बैरागी, निवासी ग्राम नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।

.....अपीला0

<u>बनाम</u>

1– छीतरिया पुत्र रघुवर दयाल (फौत), जाति बैरागी, निवासी ग्राम नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।
1.1. महेश पुत्र छीतरिया
1.2 अंगूरी देवी पुत्री छीतरिया पत्नि रामनिवास
1.2.1 पवन कुमार पुत्र रामनिवास(नाबा.) जरिये माता अंगूरी
1.2.1 पूजा पुत्री रामनिवास(नाबा.) जरिये माता अंगूरी
1.3 ऊषा देवी पुत्री छीतरिया पत्नी भूदेव निवासी अरावाई तह0 किरावली, जिला आगरा।
1.4 माया देवी पुत्री छीतरिया पत्नि महेशचन्द निवासी धर्मपुरा तह0 महावन जिला मथुरा।
2– श्रीलाल पुत्र रघुवर दयाल, जाति बैरागी, निवासी ग्राम नौरंगाबाद, तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।
3– राजस्थान सरकार।

.....रैस्पो0

<u>खण्ड – पीठ</u>
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

<u>उपस्थितः–</u>
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम, बी0एच0 अधिवक्ता रैस्पो0 संख्या–1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 25 जून, 2018</u>

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 82/2000 में पारित निर्णय दिनांक 10–4–2003 के मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के न्यायालय में इस्तकरार हक, बॅटवारा व इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रतिवादी/वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि ग्रामक नौरंगाबाद, तहसील धौलपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर हाल 289 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 440 रकबा 0–02 बिस्वा वादीगण 1/2 भाग व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता मूला 1/2 भाग

अभिलिखित खातेदारी काश्तकारी की रही है। बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात का बॅटवारा हुआ था। दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण ने वादीगण के अंकनों को लोपित करा दिया है। वादपत्र मे अनुतोष चाहा गया कि प्रश्न गत आराजी में वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए, आराजी का विभाजन कराया जा कर वादीगण को 1/2 भाग का अलग खाता किया जा कर अलग कब्जा कराया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से असहमति का जबाबदावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), धौलपुर ने निर्णय दिनांक 16-6-2000 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा निर्णय दिनांक 10-4-2003 से अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से व प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील पेश की है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4- रैस्पो0-प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में प्राथमिक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-4-2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील दिनांक 15-7-2003 को निर्धारित मियाद समय सीमा के बाहर प्रस्तुत की गई है, अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाये।

5- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-वादी ने मियाद के बिन्दु पर बहस में उज्र लिया कि अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 10-4-2003 की प्रति लेने व अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने अधिवक्ता को फीस व खर्चे के पैसे दे दिये थे किन्तु अधिवक्ता द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः अधिवक्ता की त्रुटि के लिए अपीलार्थी को दंडित किया जाना उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अपील पेश करने में मात्र 4 दिवस की देरी हुई है, अतः देरी साद्भाविक होने से तथा असाधारण देरी नहीं होने से, अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाये। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैत्रक सम्पत्ति रही है और समस्त पैत्रक भूमि का बॅटवारा होने के तथ्य को विपक्षी भी स्वीकार करते हैं। जब पूर्व में बॅटवारा हो गया तो इन दो नम्बरों को बॅटवारे से अलग रखे जाने का कोई स्पष्ट कारण रैस्पो0 द्वारा नहीं बताया गया है। अपीलार्थी के हिस्से में बॅटवारे में आई भूमि को, पूर्व के बॅटवारे में शामिल नहीं होना बताते हुये, पुनः विभाजन कराये जाने हेतु वादीगण की ओर से जो वाद दायर किया गया था तो

उसे विस्तृत जॉच व परीक्षण उपरान्त निर्णय दिनांक 16–6–2000 से परीक्षण न्यायालय ने खारिज किया था जिसमें किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी या विधिक त्रुटि नहीं होते हुये, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये।

6– योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी–रैस्पो0 ने बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि पैत्रक भूमि रही है और भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुये साबिक इन्द्राज को परिवर्तित किया है और अविधिक रुप से अपीलार्थी के अंकनों को राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिया गया है। संयुक्त परिवार की भूमि होने से सभी का समान कब्जा काश्त माना जायेगा और यदि एक व्यक्ति का कब्जा काश्त रहा है तो इससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। यदि कोई भूमि पूर्व के विभाजन में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाई है तो उसके लिए दुबारा से विभाजन का वाद लाया जा सकता है और इसकेू लिए कानून में कोई पाबन्दी नहीं है। अतः इस प्रकार की स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को खारिज करने में जो भूल की है, उसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–5–2003 से दुरुस्त कर व अपील को स्वीकार कर विभाजन हेतु पत्रावली को परीक्षण न्यायालय को भिजवाने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अपील खारिज की जावे।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8– प्रकरण मे मियाद के बिन्दु पर यह सुस्पष्ट है कि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–4–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील दिनांक 15–7–2003 को निर्धारित मियाद समय सीमा के करीब 5 दिवस बाद प्रस्तुत की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु अपीलार्थी द्वारा जो कारण प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में प्रस्तुत किए हैं उसके समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसका कोई जबाब रैस्पो0 पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूॅकि मियाद समय सीमा के मात्र 5 दिवस बाद ही यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है, जो कि असाधारण देरी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम में दिए गए कारण संतोषजनक व औचित्य पूर्ण होने से, प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जा कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में परीक्षण पर सुस्पष्ट है कि वादी/ हस्तगत अपील के रैस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

धौलपुर के न्यायालय में इस्तकरार हक, बॅटवारा व इन्द्राज दुरुस्ती का वाद प्रतिवादी/वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर हाल 289 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 440 रकबा 0–02 बिस्वा के सम्बन्ध में इस आशय का प्रस्तुत किया था कि यह आराजी वादीगण 1/2 भाग व प्रतिवादीगण के पिता मूला 1/2 भाग अभिलिखित खातेदारी काश्तकारी की रही है। बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात का बॅटवारा हुआ था। दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण ने वादीगण के अंकनों को लोपित करा दिया है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6 के अनुसार स्पष्ट है कि खसरा नम्बर हाल 289 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 237 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा से तथा हाल खसरा नम्बर 440 रकबा 0–02 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 362 रकबा 3 बिस्वा से बनाये गये हैं और प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2015–18 में साबिक खसरा नम्बर 362/2 छीतरिया, श्रीलाल पि0 रघुवर दास हिस्सा 1/2, मुन्नादास वल्द गणेश दास 1/2 अंकित है तथा प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत् 2015–18 में साबिक खसरा नम्बर 237 रघुवर दास व मूलादास पि0 गनेश दास ब0हि0 बराबर अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2011–14 में भी इसी आशय के अंकन हैं। यह सुस्थापित व मान्य सिद्धान्त है कि भू प्रबन्ध विभाग को साबिक के अनुरुप ही नवीन रिकार्ड में अंकन करने होते हैं, बिना किसी सक्षम आदेश के, अपने स्तर पर, पूर्व के राजस्व रिकार्ड के अंकनों के विपरीत अन्य अंकन करने का भू प्रबन्ध विभाग को किसी प्रकार का क्षेत्रिधकार हासिल नहीं है। भू प्रबन्ध कार्यवाही में पूर्व के अंकनों के विपरीत जाते हुये, नवीन राजस्व रिकार्ड में हाल खसरा नम्बर 289 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 440 रकबा 0–02 बिस्वा को प्रतिवादीगण पूरन व मंगला की खातेदारी में अविधिक रुप से अंकित किया गया है। इस प्रकार राजस्व अभिलेख से इस तथ्य की बखूबी पुष्टि होती है कि भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर हाल 289 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 440 रकबा 0–02 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त में रही है। वादीगण द्वारा वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पूर्व के विभाजन में प्रश्नगत भूमि बॅटवारे से रह गई है। चूॅकि प्रश्नगत भूमि पैत्रक भूमि रही है और यदि कुछ समय के लिये यह भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में राजस्व रिकार्ड में दर्शाई गई है तो इससे यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण का इस आराजी पर वैद्य अधिकार हो गया है, क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में किसी एक पक्ष का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। 1985 आर0आर0डी0 पेज 686, 1986 आर0आर0डी0 पेज 226 में इसी प्रकार का मत प्रतिपादित किया गया है। प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि बॅटवारे में उनके हिस्से में आई है, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए कोई निश्चयात्मक दस्तावेजी

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रश्नगत भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रक सह खातेदारी की भूमि होने से और प्रश्नगत आराजी पूर्व में बॅटवारा होना रह जाने से, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी व रैस्पो0 दोनों का आधा–आधा हिस्सा मानते हुये खातेदारी घोषणा करने व मौके पर विभाजन हेतु कुरा कायम करने हेतु प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है।

9– प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति एवं परिस्थिति के मद्दे नजर उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत् अपील **खारिज** की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 82/2000 में पारित निर्णय दिनांक 10–4–2003 को पुष्ट किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष